


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 879/2015.....जिला जोधपुर

उनवान- मैसर्स आवियन टेकनोब्लिस, BJS, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त-‘ए’, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2017	<p><u>कैम्प जोधपुर।</u> <u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदनलाल मालवीय- सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी-व्यवसायी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अपील विद्झा करने के संबंध में प्रार्थी ने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम, 2017 का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी0पी0 ओझा ने प्रस्तुत अपील को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 879/2015/जोधपुर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (मदनलाल मालवीय) सदस्य</p>	